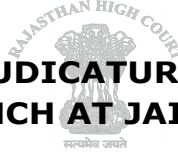




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2965/2026
CNR: RJHC020166182026 | URN: CRLMB / 5349U / 2026

1. Vicky Kumar S/o Mahesh Chand, Aged About 35 Years,
R/o Wazirpur, Police Station Wazirpur, District Sawai
Madhopur (Rajasthan)
2. Jitendra @ Jeetu S/o Gopal Singh, Aged About 34 Years,
R/o Wazirpur, Police Station Wazirpur, District Sawai
Madhopur (Rajasthan)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3564/2026
CNR: RJHC020197842026 | URN: CRLMB / 6361U / 2026

Laxman S/o Shri Harimohan @ Harmohan, Aged About 53 Years,
R/o Wazirpur, P.s. Wazirpur, District Sawai Madhopur, Rajasthan.

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 6831/2026
CNR: RJHC020416152026 | URN: CRLMB / 12353U / 2026

Amjad S/o Nisar, Aged About 45 Years, R/o Vazirpur Police
Station Vazirpur District Sawai Madhopur (Raj.)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12015/2026
CNR: RJHC020728372026 | URN: CRLMB / 22107U / 2026

Santosh Kumar S/o Ishwar Prasad, Aged About 51 Years, R/o
Wazirpur, Police Station Wazirpur, District Sawai Madhopur
(Rajasthan).

-----Petitioner



The State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Prakash Chand Thakuriya, Adv. Mr. Navdeep Singh, Adv. with Ms. Karishma Pareek, Adv. Ms. Bhuvaneshwari, Adv. Mr. Manoj Kumar Sharma, Adv. Mr. Sanjay Khan, Adv. Mr. Ashvin Garg, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP Mr. Rohit Sharma, Adv. Ms. Neetu Mathur, Adv. Ms. Sameeksha, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

05/08/2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से धारा 482 बी एन एस एस के तहत यह चारों अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना **वजीरपुर, गंगपुर सिटी** में पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **153/2024** अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दंड संहिता में गिरफ्तारी की आशंका से व्यथित होकर पेश किये गये हैं।

चूंकि चारों जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः इनका निस्तारण एक साथ इस एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

अभियुक्त विक्की के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि विक्की द्वारा सद्भाविक रूप से विक्रय पत्र दिनांक 19.06.2024 में गवाही दी थी, उसे कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उसे किसी भी आपराधिक षडयंत्र की जानकारी नहीं है।

अभियुक्त लक्ष्मण व संतोष के विद्वान अधिवक्तागण का निवेदन है कि दोनों अभियुक्तगण के पक्ष में गिरफ्तारी पर रोक के संबंध में आदेश प्रभावी



था, उनके द्वारा अनुसंधान में सहयोग किया जा चुका है, उनके विरुद्ध कोई सामग्री अनुसंधान के दौरान नहीं आई है। अभियुक्त संतोष के संबंध में उनका यह भी निवेदन है कि स्वयं पुलिस ने अन्य अभियुक्त के विरुद्ध नतीजा पेश करने के दौरान संतोष के खिलाफ कोई मामला नहीं बनना प्रकट किया है।

अभियुक्त अमजद के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि वह सद्भाविक सप्रतिफल क्रेता है। श्याम सिंह द्वारा छलावे से कोई संपत्ति पूर्व में खरीद की गयी है तो उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं थी, अतः प्रार्थी/अभियुक्तगण को निर्दोष होना बताते हुए अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्तागण परिवादी ने अग्रिम जमानत आवेदनों का विरोध किया तथा निवेदन किया कि वास्तव में यह भूमि बनवारी पुत्र गोपाल के स्वामित्व की थी उसके स्थान पर फकीर चंद ने प्रतिरूपण कर व श्याम सिंह क्रेता के साथ षडयंत्र रचकर दिनांक 06.06.2024 को कूटरचित विक्रय पत्र तैयार करवाया है जिसमें वास्तविक प्रतिफल राशि अंतरित नहीं हुई है तथा उसके 13 दिन बाद ही श्याम सिंह द्वारा यह भूमि अमजद को लगभग उसी प्रतिफल राशि में अंतरित की गयी है, प्रतिफल राशि का भुगतान बैंक से नहीं हुआ है तथा बाजार मूल्य के मुकाबले यह राशि नगण्य है जो अभियुक्त के आपराधिक आशय को दर्शित करती है। अंत में अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष होना व अपराध की गंभीरता को देखते हुए चारों अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

दोनों पक्षों के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार द्वारा दर्ज करवायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट व अब तक हुए अनुसंधान के अनुसार यह प्रकट हुआ है कि मूल खातेदार बनवारी पुत्र गोपाल की दिनांक 22.01.1979 को ही मृत्यु हो चुकी थी। अभियुक्त श्याम सिंह, फकीर चंद व अन्य के साथ आपराधिक षडयंत्र रचते हुए फकीर चंद को बनवारी के स्थान पर खड़ा कर दिनांक 06.06.2024 को विक्रय पत्र श्याम सिंह के पक्ष में निष्पादित करवाया। यह विक्रय पत्र 1,90,000/-रुपये के प्रतिफल पर निष्पादित होना, प्रतिफल राशि नकद अदा किया जाना उल्लेखित है



जबकि इसी संपत्ति का डी.एल.सी. मूल्य 19,21,052/—रुपये माना गया है, लेकिन इस दस्तावेज के निष्पदन के 13 दिन पश्चात ही दिनांक 19.06.2024 को श्याम सिंह के द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से अभियुक्त अमजद को विक्रय की गयी। प्रतिफल राशि 1,95,000/—रुपये नकद अदा किये जाने का उल्लेख है जबकि डी.एल.सी. दर के अनुसार यह भूमि 19,21,052/—रुपये की थी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य रूप से डी.एल.सी. के मुकाबले बाजार मूल्य कई गुना अधिक होता है, अतः ऐसी स्थिति में जब यह भूमि अमजद द्वारा क्रय की गयी थी उस समय किसी भी सूरत में 1,95,000/—रुपये की नहीं थी, एकदम तुच्छ मूल्य पर नकद राशि अदा करते हुए दस्तावेज निष्पादित करवाया जाना अपने आप में गंभीर संदेह उत्पन्न करता है और यह प्रकट होता है कि अमजद द्वारा सभी अपराध की परिस्थितियां जानते हुए षडयंत्र के तहत यह भूमि खरीद की गयी है, अतः अभियुक्त अमजद का मामला अन्य अभियुक्त से भिन्न हो जाता है।

जहां तक अभियुक्त विक्की का प्रश्न है, वह मात्र दिनांक 19.06.2024 के विक्रय पत्र का गवाह है। अनुसंधान के दौरान उसके विरुद्ध कोई सारवान सामग्री अनुचित लाभ के संबंध में प्रकट नहीं हुई है। इस प्रकार अन्य अभियुक्त लक्ष्मण व संतोष के संबंध में भी अनुसंधान के दौरान इस अपराध में लिप्त होने बाबत कोई विधितः स्वीकार्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पायी है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त अमजद पुत्र निसार का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति व प्रस्तुत किये गये तर्कों को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विक्की कुमार, जितेन्द्र उर्फ जितू, लक्ष्मण व संतोष की ओर से प्रस्तुत यह तीनों अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **विक्की कुमार पुत्र महेश चंद, जितेन्द्र उर्फ जितू पुत्र गोपाल सिंह, लक्ष्मण पुत्र हरी मोहन उर्फ हरमोहन व संतोष**



कुमार पुत्र ईश्वर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत यह तीनों अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी एन एस एस के तहत स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि **यदि प्रार्थीगण में से प्रत्येक प्रार्थी** इस मामले में गिरफ्तारी की अवस्था में **एक लाख रुपये** का स्वयं का बंध पत्र **पचास—पचास हजार** रुपये की दो प्रतिभूति संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी की संतुष्टि की पेश कर तस्दीक करा दे तो उन्हें निम्न शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे:—

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष: अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

(UMA SHANKER VYAS),J